



## फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत डा. अरविंद शर्मा कलेक्टर मुकाम डीक

उनवान रेशा बनाम नाथव तह. दूनी

मुकदमा अपील नं 36 सन् 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
23/12/2025	<p>अभिभाषक अपीलान्ट उपस्थित है। प्रकरण समाप्त अदालत एवं पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अपील के साथ अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र स्थगन एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 भी प्रस्तुत किया है। दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थना पत्र स्थगन पर अभिभाषक अपीलान्ट की एकतरफा बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि नाथव तहसीलदार दूनी ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.10.2025 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि आराजी खसरा नं. 1260, 1261, 1262 रकबा 1.40 हैक्टेयर बाके ग्राम जलसीना तह. दूनी पर अतिक्रमी मानकर भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम करने एवं 3 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश पारित किया है। उक्त निर्णय पटवारी हलका की गलत रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का एवं सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है। इस कारण अपीलाधीन आदेश की क्रियान्विती ताफैसला स्थगित की जावें।</p> <p>हमने अभिभाषक अपीलान्ट की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया। हम प्रार्थना पत्र स्थगन को खारिज किया जाना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित मिसल तलब कर पत्रावली दिनांक 02.01.2026 को पेश हो।</p>	<p style="text-align: right;">   <b>ज. अरविंद शर्मा</b>  <b>कलेक्टर</b>  <b>डीक</b> </p> <p style="text-align: right;"> <u>1294</u>  <u>24/12/2025</u> </p> <p style="text-align: right;"> <u>1323</u>  <u>27/12/2025</u> </p>
21/01/2026	<p>अभि. अपीलान्ट एवं जेरोकार सरकार उपरोक्त अपीलाधीन आदेश से संबंधित मिसल अज्ञात पत्रावली वाले इन्तजार मिसल दिनांक 08/01/2026 को पेश है।</p> <p style="text-align: center;">   <b>ज. अरविंद शर्मा</b>  <b>कलेक्टर</b>  <b>डीक</b> </p>	